मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-12

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 2006 (फाल्गुन 11, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 104 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 100 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री दुर्गालाल विजय,सदस्य ने श्योपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम जानपुरा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत न किये जाने,

(2) श्री नारायण त्रिपाठी,सदस्य ने मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सेवा निवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान न किये जाने,

(3) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने खरगौन जिले के बड़वाह माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,

(4) डॉ.आई. एम.पी.वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम बरौही की निजी भूमि पर अतिक्रमण होने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड के उप जेल में कैदियों के साथ पक्षपात किये जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने गिर्द विधान सभा क्षेत्र में कई गांव में विद्युत लाइनें मकानों के ऊपर जाने से दुर्घटनाएं होने,

(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना शहर के अम्बाह तिराहे के पास लूट होने,

(8) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने प्रदेश में जुलाई - अगस्त में हुई अति वर्षा से पान की फसल चौपट होने एवं मुआवजा राशि न दी जाने, तथा

(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य ने बालाघाट जिले में किसानों को दी जा रही जैविक खाद में गुणवत्ता की कमी होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,
पटल पर रखा।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य ने इन्दौर जिले के ग्राम गोण्डकुंआ में वन कर्मियों द्वारा कृषकों की फसल एवं सम्पत्ति नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी,वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने दी मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाने द्वारा कृषकों को गन्ने का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री दिलीप भटेरे, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम खांडोली से तुसीपुरा तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम पंचमपुरा स्थित स्कूल भवन की मरम्मत कराये जाने,
(ग) ग्राम सुखपुरा से खरिका तक सड़क बनाये जाने,
(घ) ग्राम मऊखेड़ा से बघपुरा तक सड़क बनाये जाने,
(ङ) ग्राम भदावली स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा
(च) ग्राम बडौना व ककरधा के मध्य नदी पर पुल/रपटा बनाये जाने,

(2) श्री मोहन शर्मा, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम ढावला से हिकमी, कंडाराकोटरी से हुलखेड़ी तथा ग्राम माना से सेमला गोगा के मध्य नवीन ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(3) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम मारई से दांगीवाड़ा तक पक्की सड़क बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम उमरेड से छावड़ी कला तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम सोनखेड़ा कला व बाढ़गांव में हाईस्कूल तथा ग्राम गागोरनी व झाड़मऊ में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम नवापुरा, सतनखेड़ी, सादलपुर एवं पानखेड़ी में लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिलाये जाने,

(5) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम खजरी फुलसा के पास नदी पर स्टाप डेम कम रपटा बनाये जाने,

(ख) ग्राम पौनार व तिगाई के मध्य जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम गारादेही में निस्तारी तालाब बनाये जाने, तथा

(घ) ग्राम झांकी व मानकादेही के मध्य नदी पर स्टाप डेम कम रपटा बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

7. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.......(क्रमशः)

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 12	ऊर्जा के लिए उन्नीस सौ तीन करोड़, सैंतालीस लाख,तिरसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए आठ सौ इकतालीस करोड़, सत्ताईस लाख, नौ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए एक सौ चौहत्तर करोड़,अड़सठ लाख,उनसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए दो सौ चौसठ करोड़, अड़तीस लाख, बयासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बानवे लाख, बयालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 73	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय के लिए चालीस करोड़ रूपये,तथा
अनुदान संख्या - 76	लोक निर्माण से संबंधित नाबार्ड एवं विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो सौ चौरानवें करोड़,अठहत्तर लाख रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 12	2,3,6,7,8,9,11,14,16,18
मांग संख्या - 24	1,3,4,6,8,10,13,14,15,18,19
मांग संख्या - 42	1,2
मांग संख्या - 67	1,5
मांग संख्या - 69	2,3
मांग संख्या - 76	1

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

(2-अ) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(3) श्री रामलखन शर्मा **(भाषण अपूर्ण)**

(1.00 बजे से 2.32 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री बाबूलाल महाजन, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि-समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 3 एवं 10 मार्च, 2006 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

	अशासकीय संकल्प **शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2006**	**निर्धारित समय**
1. (क्रमांक-22)	श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा	45 मिनट
2. (क्रमांक-26)	श्री बाबूलाल सीताराम महाजन	45 मिनट
3. (क्रमांक-62)	श्री अर्जुन पलिया	1 घन्टा

अशासकीय संकल्प

शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006

1. (क्रमांक-3)	श्री लाल सिंह आर्य	50 मिनट
2. (क्रमांक-14,60)	सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, आरिफ अकील	50 मिनट
3. (क्रमांक-40)	श्री बृजमोहन बद्रीनारायण धूत	50 मिनट

श्री बाबूलाल महाजन, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(5) श्री इन्द्रजीत कुमार

(6) श्री कृष्णकुमार सिंह (भंवर साहब)

(7) श्री दुर्गालाल विजय

(8) श्री अजय सिंह "राहुल भैया"

(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर

(10) श्रीमती अर्चना चिटनीस

(11) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(12) डॉ. निशिथ पटेल

(13) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)

(14) श्री बाबूलाल सीताराम महाजन

(15) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(16) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(17) श्री आरिफ अकील

(18) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

(19) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

(20) श्री नानालाल पाटीदार

(21) श्री बहादुर सिंह चौहान

(22) श्री धुलजी चौधरी

(23) श्री शंकरलाल तिवारी

(24) श्री बृजेन्द्र प्रताप

(25) श्रीमती अलका जैन

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(26) श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया

(27) श्री ध्रुव प्रताप सिंह

(28) श्री मनोहरलाल राठौर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

07.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2006 (फाल्गुन 12, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.